न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3962–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–14 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, सुपावली जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 84/12–13/अ–6.

—

जगदीश सिंह पुत्र गंभीर सिंह
निवासी ग्राम रतवाई
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– राकेश अग्रवाल
2– प्रमोद अग्रवाल पुत्रगण ओमप्रकाश अग्रवाल
निवासी इनक्लेव मुरार .....अनावेदकगण

———

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक,अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8।10।15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, सुपावली जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–10–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा मौजा रतवाई स्थित भूमि सर्वे कमांक 1227 रकबा 0.099 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 1248 रकबा 0.022 हेक्टेयर

भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पटवारी ग्राम रतवाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नामांतरण विवादित होने से पटवारी द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर को भेजा गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 12–3–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण के तर्क का अवसर समाप्त किया गया । अतः अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्तियां प्रस्तुत की गईं । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण का संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के समय किया जावेगा, आदेशित किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35 (3) के आवेदन पत्र पर आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उन आपत्तियों पर बिना विचार किये आवेदन पत्र स्वीकार करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र, बिना शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसा आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि अनावेदकगण द्वारा जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, उससे उन्हैं कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और नामांतरण स्वत्व के आधार पर ही किया जा सकता है, इस वैधानिक स्थिति पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांतों में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि सर्वप्रथम प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किया

जायेगा, तत्पश्चात अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के समय किया जायेगा, यह आदेशित किया गया है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त होने के पश्चात बिना प्रकिया का पालन किये और संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज नहीं हुआ है, केवल तर्क का अवसर समाप्त किया गया था, अतः तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र में धारा का गलत उल्लेख करने से प्रकरण के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि आवेदकगण को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तब वह पैसे वसूल करने की कार्यवाही कर सकता है, जबकि विक्रय पत्र में सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त किए जाने का उल्लेख है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अभी प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण होना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से तकनीकी स्वरूप की आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, जैसे आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं होना एवं प्रकरण अवलोकनार्थ नियत होने के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं है इत्यादि, उक्त आपत्तियां आधारहीन हैं और ऐसी आपत्तियों के आधार पर अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए । अतः अपर तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसी प्रकार आवेदक की ओर से उठाई गई अन्य

आपत्तियों का निराकरण अतिम आदेश के समय किया जाना आदेशित करने में भी अपर तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि आवेदक की ओर से उठाई गई आपत्तियों को निराकरण साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है । इस प्रकार अपर तहसीलदार द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2014 स्थिर रखा जाकर, निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर